420

संख्या–3ए–3–भत्ता–01/2017- 9747/वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:–09.09.2025

विषयः– वित्त विभागीय संकल्प सं०–8044, दिनांक–11.10.2017 द्वारा राज्य के सरकारी कर्मियों को अनुमान्य यात्रा भत्ता के वर्त्तमान दरों एवं यात्रा अनुमान्यता में संशोधन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

राज्य वेतन आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में वित्त विभाग के संकल्प संख्या–8044, दिनांक–11/10/2017 द्वारा निर्गत की तिथि से राज्य सरकार के सरकारी कर्मियों के लिए यात्रा भत्ता के दरों का पुनरीक्षण किया गया है।

2. सम्यक् विचारोपरान्त, वित्त विभागीय संकल्प संख्या–8044, दिनांक–11.10.2017 द्वारा स्वीकृत यात्रा भत्ता के दरों एवं यात्रा की अनुमान्यता में निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है :–

(i) दैनिक भत्ता (Daily Allowance), नियम–69(1) :–

(क) शहरों का वर्गीकरण और देय दैनिक भत्ता की दर रुपये में :–

वेतन स्तर	श्रेणी X (मेट्रो)	श्रेणी Y (पटना)	श्रेणी Z (अन्य)
14 एवं अधिक	9375/– होटल	6250/– होटल	5000/– होटल
11, 12, 13 एवं 13A	5625/– होटल	4375/– होटल	3125/– होटल
6, 7, 8 एवं 9	3500/– होटल	1875/– होटल	1250/– होटल
5 एवं इससे कम	1250/– होटल	625/– होटल	375/– होटल

उपरोक्त दरों के अतिरिक्त भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापांक– 19030/2/2017-E.IV, दिनांक–29.06.2018 के अनुरूप GST की राशि (जहाँ लागू हो), अलग से अनुमान्य होगा। GST की गणना संबंधित कर्मी को यथा अनुमान्य श्रेणी के लिए किये गये वास्तविक भुगतान के आधार पर की जाएगी।

(ख) भोजन शुल्क (Meal Charge) :–

वेतन स्तर	निर्धारित दर
वेतन स्तर–14 एवं अधिक	1500/–
वेतन स्तर– 11, 12, 13 एवं 13ए	1250/–
वेतन स्तर– 6, 7, 8 एवं 9	1000/–
वेतन स्तर– 5 एवं इससे कम	625/–

भोजन शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए अभिश्रव की आवश्यकता नहीं होगी।

9/9/25

419

(ii) वायुयान से अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा की अनुमान्यता :

वेतन स्तर	**यात्रा भत्ता**
वेतन स्तर–17	प्रथम श्रेणी
वेतन स्तर–14 से 16	बिजनेस / क्लब क्लास
वेतन स्तर–13 एवं इससे कम	इकोनॉमी क्लास

(iii) निजी सामग्रियों के परिवहन की अनुमान्यता :–

वेतन स्तर	**संशोधित दर**
वेतन स्तर–12 एवं अधिक	62 रु० प्रति किलोमीटर
वेतनस्तर–6, 7, 8, 9 एवं 11	62 रु० प्रति किलोमीटर
वेतन स्तर–5	31 रु० प्रति किलोमीटर
वेतन स्तर–4 एवं इससे कम	18 रु० प्रति किलोमीटर

3. संकल्प संख्या–8044, दिनांक–11.10.2017 को इस हद तक संशोधित समझा जाय। शेष प्रावधान यथावत् रहेंगे।

4. उपरोक्त दर/अनुमान्यता संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेशः– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

9/9/25

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः–3ए–3–भत्ता–01/2017–**9747/वि०** पटना, दिनांकः–**09.09.2025**

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/9/25

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः–3ए–3–भत्ता–01/2017–**9747/वि०** पटना, दिनांकः–**09.09.2025**

प्रतिलिपिः–माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/9/25

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव

(418)

ज्ञापांकः–3ए–3–भत्ता–01 / 2017–**9747 / वि०** पटना, दिनांकः–**09.09.2025**

प्रतिलिपिः–महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / **सचिव**, बिहार विधान सभा / **सचिव,** बिहार विधान परिषद्, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/9/25

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः–3ए–3–भत्ता–01 / 2017–**9747 / वि०** पटना, दिनांकः–**09.09.2025**

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग / **अवर सचिव**, वेतन निर्धारण शाखा, वित्त विभाग / **सिस्टम एनालिस्ट** (बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/9/25

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः–3ए–3–भत्ता–01 / 2017–**9747 / वि०** पटना, दिनांकः–**09.09.2025**

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

9/9/25

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः–3ए–3–भत्ता–01 / 2017–**9747 / वि०** पटना, दिनांकः–**09.09.2025**

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक **दिनांक–09.09.2025** के **मद संख्या–12** में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/9/25

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव